जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनाँक 28.05.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 मु0अ0सं0 336/2024 धारा 302 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता शैलेष पुत्र स्व0 लखराज निवासी ग्राम रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को मदरहिया जिगिना चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 27.05.2024 को थाना धनघटा अन्तर्गत ग्राम जिगिना (शीतलपुरा) निवासिनी शोभना देवी पत्नी रामजीव द्वारा थाना धनघटा पर सूचना दिया गया कि उनकी लड़की कुसुम जिसकी शादी 2005 में शैलेष पुत्र लखराज निवासी रामपुर दक्षिण थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के साथ हुई थी, शादी के कुछ समय बाद शैलेष का चक्कर एक अन्य औरत से चलने लगा। दिनांक 24.05.2024 को शैलेष ने कुसुम की हत्या कर कमरे में बंद कर भाग गया। उक्त सूचना पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 336/2024 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 28.05.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार, का0 रजनीश यादव, हे0का0 रामसमुख पटेल।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 28.05.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत करैली से इवेन्ट संख्या 39175 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (**01-सतेन्द्र कुमार पुत्र विक्रम प्रसाद निवासी बकहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर)** के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-*मु0 आ0 अभिषेक सिंह, म0आ0 नीतू गोंड, हो0चा0 रविन्द्र यादव।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 66 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 66 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।